



सेवा में

दिनांक – 9-12-2015

मा० मुख्यमंत्री महोदय  
उत्तर प्रदेश

**विषय:-** उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 अध्याय 6 धारा 42, 43 तथा 44 के अनुसार न्याय पंचायतों के गठन के सन्दर्भ में

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषय में अनुरोध करना है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में चल रहे ग्राम पंचायत चुनाव एवं उसके गठन के बाद अधिनियम की धारा 42 के अनुसार न्याय पंचायतों के गठन की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की जाये।

मान्यवर, उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 के अध्याय 6 की धारा 42 में प्रावधान है कि **"राज्य सरकार अथवा नियत प्राधिकारी जिले को सर्किलों में विभाजित करेगा और ग्राम पंचायतों की अधिकारिता के अधीन रहते हुए..... प्रत्येक सर्किल के निमित्त एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा"**। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 43 में **पंचों की नियुक्ति** तथा धारा 44 में **सरपंच एवं सहायक सरपंच के निर्वाचन** का प्रावधान है। लेकिन विगत 43 वर्षों से **"न्याय पंचायतों"** का गठन नहीं किया गया है। अंतिम बार वर्ष **1972** में न्याय पंचायतों का गठन हुआ था। उसके बाद से यह प्रक्रिया ठप हो गयी है।

मान्यवर, **तीसरी सरकार अभियान** उत्तर प्रदेश में **पंचायतों के संस्थागत विकास** हेतु **जन सहयोग** से संचालित एक **लोक अभियान** है। जो विगत डेढ़ वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में 73 वे संविधान संशोधन तथा उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम के प्रति लोगो को जागरूक करने तथा उन्हें गतिशील बनाने के कार्य में लगा है। इस अभियान में प्रदेश के अनेक प्रबुद्धजनों, सामाजिक संगठनों, स्वेच्छिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पंचायत प्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों, जागरूक किसानों, पेशेवर विशेषज्ञों आदि की संयुक्त भागीदारी है। अभियान की संक्षिप्त रिपोर्ट का लिंक अवलोकनार्थ प्रस्तुत है— [तीसरी सरकार प्रगति रिपोर्ट](#)

मान्यवर, शताब्दियों से इस देश की संस्कृति में पंचायत एक **"न्याय संस्था"** के रूप में विद्यमान रही है। **"पंचपरमेश्वर"** की अवधारणा और उसके प्रति लोक मानस की आस्था जग जाहिर है। अंग्रेजों के समय में ही जब 1920 में **संयुक्त प्रान्त** ( उस समय उत्तर प्रदेश इसी में शामिल था ) **पंचायती राज एक्ट** बना तभी से पंचायत के परम्परागत दायित्व **"न्याय"** को इसमें शामिल करते हुए **"अदालत पंचायत"** का प्रावधान किया गया था। जिसे स्वतंत्र भारत में वर्ष 1955 में **"न्याय पंचायत"** के नाम से संबोधित किया गया। जैसा की पहले ही अवगत कराया गया है कि अंतिम बार 1972 में न्याय पंचायतों का गठन किया गया था। उसके बाद से आज तक गठन प्रक्रिया रुकी हुई है।

वर्ष 1994 में जब **"73 वें संविधान संशोधन"** के आधार पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया तब **"न्याय पंचायत"** के प्रावधान को थोड़े बहुत संशोधन के साथ यथावत शामिल किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बाद न्याय पंचायतों का गठन नहीं हुआ। वर्ष 2015 में **पांचवी बार** ग्राम पंचायतों का चुनाव सम्पन्न होने जा रहा है। पिछले चारो चरणों में ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद **"न्याय पंचायत"** के गठन की जो प्रक्रिया राज्य सरकार को शुरू करनी थी वह प्रारम्भ ही नहीं की गयी।

इस बार दिसम्बर 2015 के मध्य में ग्राम पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो रही और निश्चित रूप से दिसम्बर 2015 के अंत तक ग्राम पंचायत की गठन प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। अतः आप से विनम्र अनुरोध है कि माह **जनवरी 2016** से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 (संशोधित ) के अध्याय 6 की धारा 42 के अनुसार न्याय पंचायतों के गठन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की कृपा करें।

मान्यवर **"न्याय पंचायत"** के गठन से प्रदेश के समाज को बहुत बड़ी **राहत** तथा गाँव के **विकास** और **खुशहाली** में उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तन भी होंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है की इस देश की पंचायत व्यवस्था ने शताब्दियों से **परिवार** और **पड़ोस** को टूटने और नष्ट होने से बचा कर **"सह जीवन"** और **"सह अस्तित्व"** पर आधारित भारतीय संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित किया है। अपने विवादों का निपटारा स्थानीय स्तर पर स्वयं के प्रयास से करके भारत का गाँव समाज खुशहाली और

अनुरोध है कि माह **जनवरी 2016** से उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 (संशोधित ) के अध्याय 6 की धारा 42 के अनुसार न्याय पंचायतों के गठन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की कृपा करें।

मान्यवर **"न्याय पंचायत"** के गठन से प्रदेश के समाज को बहुत बड़ी **राहत** तथा गाँव के **विकास** और **खुशहाली** में उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तन भी होंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है की इस देश की पंचायत व्यवस्था ने शताब्दियों से **परिवार** और **पड़ोस** को टूटने और नष्ट होने से बचा कर **"सह जीवन"** और **"सह अस्तित्व"** पर आधारित भारतीय संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित किया है। अपने विवादों का निपटारा स्थानीय स्तर पर स्वयं के प्रयास से करके भारत का गाँव समाज खुशहाली और समृद्धि का जीवन जीता रहा है। इसी नाते अधिनियम में न्याय की जिम्मेवारी पंचायत को सौंपी गयी। आजाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी **न्याय** को **सरल** और **सुलभ** बनाने के लिए जो रास्ता खोजा वह **"लोक अदालत"** के रूप में ही सामने आया है , जो एक तरह से **"पंचायत"** की परस्पर सहमति और **समझौते** की परम्परा को ही परिपुष्ट करता है।

**उत्तर प्रदेश** देश के उन गिने चुने राज्यों में से एक है जो अपनी **पंचायती व्यवस्था** के माध्यम से स्थानीय स्तर पर **सर्व सुलभ न्याय** उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। लेकिन कुछ कारणों से यह प्रतिबद्धता वर्तमान समय में बाधित हो गयी है। अतः आप से अनुरोध है की **लोक न्याय** की इस महान परम्परा को **पुनः गतिशील बनाने** हेतु समय पर कार्यवाही करने की कृपा करें।

मान्यवर, यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि **बिहार प्रदेश** संयुक्त प्रान्त से अलग होने के बाद न्याय पंचायत की इस व्यवस्था को **"ग्राम कचेहरी"** के रूप में वर्तमान समय में बेहतर और प्रभावी तरीके से संचालित कर रहा है। बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव के साथ **"ग्राम कचेहरी"** के **पंच** और **सरपंच** का भी चुनाव **राज्य निर्वाचन आयोग** द्वारा ही कराया जाता है। इसके चलते स्वाभाविक रूप से **"ग्राम पंचायत"** के साथ **"ग्राम कचेहरी"** का भी गठन हो जाता है। संविधान संशोधन के बाद स्थापित नए पंचायती राज के तहत विगत एक दशक से **"ग्राम कचेहरी"** का अनुभव बिहार राज्य के गांवों के लिए एक **सुखद अनुभव** है साथ ही उनकी तमाम क़ानूनी और सामाजिक झंझटों और विवादों के निपटारे का सबसे सशक्त मंच बन गया है।

मान्यवर, इस सन्दर्भ में कृपया निम्नांकित अनुरोध उचित विचार एवं समुचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है—

( i ) कृपया ग्राम पंचायतों के गठन के बाद उ० प्र० पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 6 की धारा 44, 45, व 46 के अनुसार **न्याय पंचायतों के गठन की प्रक्रिया** प्रारम्भ की जाय।

( ii ) कृपया **"न्याय पंचायतों"** के लिए चयनित **"पंचों"** एवं **"सरपंचों"** का विधिवत **प्रशिक्षण कार्यक्रम** अवश्य आयोजित किया जाय जिससे वे कुशलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें।

( iii ) तीसरी सरकार अभियान का एक **प्रतिनिधि मण्डल** मान्यवर से मिलना चाहता है जो इस सन्दर्भ में अपने पक्ष को और अधिक स्पष्टता एवं विस्तार के साथ प्रस्तुत कर सके। निवेदन है कि अपनी **सुविधानुसार समय देने** की कृपा करें।

शुभकामनाओं के साथ

**भवदीय**

डॉ चंद्रशेखर प्राण

संयोजक

तीसरी सरकार अभियान

मो० 8400702128

ईमेल tsaup15@gmail.com